



कोटा

Rashtradoot

फोन:- 2386031, 2386032 फैक्स:- 0744-2386033

वर्ष: 51

संख्या: 300

प्रभात

कोटा, गुरूवार 13 अगस्त, 2026

कोटा/24/2012-14

पृष्ठ 8

मूल्य 2.50 रु.

जो खुद पंजाब में खेमेबाजी में लगे हैं, वो राजस्थान में पार्टी में एकता कैसे लाएंगे?

पंचायत चुनावों से पहले कांग्रेस में सभी को यही चिंता सता रही है

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। कांग्रेस के नेताओं ने राजस्थान के प्रभारी एआईसीसी महासचिव एस.एस. रंधावा के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल लिया है। रंधावा जयपुर आने वाले हैं, जहां उन्हें विभिन्न जिलों में आपस में लड़ रहे कांग्रेस नेताओं के बीच एकता कायम करने की कोशिश करनी है।

रंधावा राजस्थान में पीसीसी अध्यक्ष डोटासरा के पूर्ण समर्थन में है। दोनों जाट हैं और दोनों मिलकर राज्य में दूसरे समुदायों को पीछे धकेल कर जाटों को बड़े पैमाने पर बढ़ावा दे रहे हैं।

लेकिन अपने गृह राज्य पंजाब में रंधावा असहमति, गुटबाजी और खींचतान के केन्द्र बन गए हैं और उन्होंने पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है।

राजस्थान के कांग्रेस नेता अब उन पर उंगली उठा रहे हैं और उन्हें पाखंडी बता रहे हैं।

■ चिंता का विशेष कारण यह है कि रंधावा, चूंकि राजस्थान के प्रभारी महासचिव हैं, इसलिए राज्य के पंचायत चुनावों में टिकट वितरण की जिम्मेवारी उन्हीं पर रहेगी।

■ चर्चा है कि पंजाब में रंधावा, अमित शाह से मुलाकात के बाद चन्नी के साथ मिलकर पंजाब के पीसीसी अध्यक्ष राजा वडिंग के खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं।

■ यह भी चर्चा थी कि पंजाब में उनके बगावती तेवरों के कारण उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जाएगा, पर, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उन पर वेणुगोपाल का हाथ है।

उनका सवाल है कि जब रंधावा खुद राजस्थान और पंजाब, दोनों राज्यों में एक-एक गुट के नेता बने हुए हैं, तो वे कांग्रेस के विभिन्न गुटों के साथ न्याय कैसे कर सकते हैं।

राजस्थान कांग्रेस कई गुटों में बंट चुकी है : अशोक गहलोत, डोटासरा, जूली, सचिन पायलट और इसी तरह

के कई अन्य गुट हैं।

सवाल यह उठ रहा है कि क्या राजस्थान में होने वाले महत्वपूर्ण स्थानीय निकाय चुनाव में टिकट बांटने के मामले में रंधावा सभी के साथ न्याय कर पाएंगे।

नेताओं का कहना है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए यह चुनाव बेहद

महत्वपूर्ण है। चूंकि भाजपा हर दिन कमजोर होती जा रही है, इसलिए कांग्रेस के पास अच्छा प्रदर्शन करने का मौका है। लेकिन पार्टी नेतृत्व का अभी राज्य के मुद्दों पर ध्यान नहीं है।

रंधावा के पाला बदलने, और कथित तौर पर अमित शाह के कहने पर पीसीसी अध्यक्ष राजा के बजाय चन्नी का साथ देने के बाद, जोरदार चर्चा थी कि उन्हें राजस्थान के प्रभारी पद से हटाया जा सकता है।

लेकिन अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो सवाल यह है कि उनके साथ क्या किया जाएगा?

और इसके अलावा, वेणुगोपाल लगातार उनका बचाव कर रहे हैं।

रंधावा का जयपुर दौरा, जो कल होना था, अब 17 तारीख तक टाल दिया गया है। अब देखना होगा कि क्या वे खुद को एक ऐसे निष्पक्ष और निर्गुट नेता के रूप में पेश कर पाते हैं, जो सिर्फ जाट नहीं, बल्कि कांग्रेस के सभी नेताओं के साथ न्याय कर सके।

टेक इट और लीव इट- शाह

-रेणु मिश्रल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। लम्बी चुप्पी और दोनों सदनों, लोकसभा तथा राज्यसभा से गायब रहने के बाद, केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि वे सदन में आने, बहस में हिस्सा लेने और उनसे पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं।

यह पेशकश संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन से एक दिन पहले आई है। पूरा सत्र लगभग बेकार चला गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों

- **वी हैव लैफ्ट इट- राहुल।**
- **गतिरोध वैसे का वैसे बरकरार।**

ही संसद के दोनों सदनों में नहीं आए।

काफ़ी आलोचना और खराब प्रचार के बाद, अमित शाह जाहिर तौर पर इस धारणा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं कि गृह मंत्री डरे हुए हैं और छात्रों पर पैलेंट गन चलाने का आदेश किसने दिया, इस सवाल पर विपक्ष के हमले का सामना नहीं करना चाहते।

सवाल वही हैं, लेकिन उनके जवाब नहीं हैं। राहुल गांधी ने इस पेशकश को नज़रअंदाज़ कर दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष और देश को किसी भाषण की जरूरत नहीं है। वे पहले सवाल का जवाब चाहते हैं और उसके बाद बहस।

(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

रहस्यमय ढंग से आरोप लगे और रहस्यमय ढंग से हट गए

अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज ने गौतम अडानी को बरी करते हुए कहा, अमेरिकी अभियोजक अपराध साबित करने में विफल रहे और सरकार ने खुद अडानी के खिलाफ मामला खत्म कर दिया

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। अमेरिका के एक फ़ैडरल कोर्ट ने भारतीय अरबपति गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ आरोप वापस ले लिए हैं। विश्वसनीय जानकारी के अनुसार, छह अन्य लोगों के खिलाफ आरोप भी हटाए जा रहे हैं। ये आरोप जितने अचानक लगाए गए थे, उतने ही अचानक वापस ले लिए गए।

न्यायाधीश ने एक तरह से स्वीकार किया कि अमेरिकी अभियोजक सुनवाई के दौरान अपराध साबित करने में विफल रहे और फ़ैडरल सरकार ने खुद अडानी के खिलाफ मामला खत्म करने का फैसला किया। अदालत ने शुरुआती तौर पर यह भी स्वीकार किया कि अमेरिकी सरकारी एजेंसियां अडानी के खिलाफ मुकदमा इसलिए वापस नहीं ले रही थीं, क्योंकि वे अमेरिका में 10 अरब डॉलर के निवेश का वादा कर रहे थे।

आरोप हटाए जाने के बाद अडानी अब अमेरिका में अपने लंबे समय से रुके प्रस्तावों को आगे बढ़ा सकेंगे।

■ अदालत ने यह भी स्वीकार किया कि सरकारी एजेंसियाँ ने इसलिए अडानी के खिलाफ अभियोजन आगे नहीं बढ़ाया, क्योंकि वे अमेरिका में दस बिलियन डॉलर की पूँजी लगाने वाले हैं और इसीलिए उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है।

■ न्याय विभाग ने यह भी कहा कि यह मामला “नाम खराब करने और शर्मिंदा करने” की कोशिश थी। यह भारतीय कॉर्पोरेट जगत की कुछ बड़ी कंपनियों को बदनाम करने की किसी बड़ी चाल का हिस्सा हो सकता है।

अडानी के खिलाफ मामला नवंबर 2024 में पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन के अंतिम दिनों में शुरू किया गया था।

इस मामले से यह बात बहुत साफ तौर पर सामने आई कि किसी न्यायिक प्रणाली के अधिकार क्षेत्र से बाहर की गतिविधियों से जुड़े आरोपों वाले केस को आगे बढ़ाना कितना मुश्किल होता है। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपियों ने कभी भी सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होकर अदालत में अपना पक्ष नहीं

रखा। मामले की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उनके ऐसा करने की संभावना भी नहीं थी।

मुख्य आरोप यह था कि अडानी 20 करोड़ डॉलर से अधिक की एक बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना हासिल करने के लिए भारत सरकार के अधिकारियों को भारी रिश्वत देने की योजना बना रहे थे। हालाँकि, सरकारी वकील सुनवाई के दौरान रिश्वत के वास्तविक भुगतान को कभी साबित नहीं कर पाया।

(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

सरकार ने एफसीआर बिल पारित कराने के लिए जेपीसी का रास्ता चुना

सरकार ने विदेशी फंडिंग के नियमन को कठोर बनाने के लिए यह संशोधन किया और इसके लिए वह हितधारकों की चिंताओं और राजनैतिक प्रभावों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। मोदी सरकार द्वारा फ़ॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन (रेग्युलेशन) अमेंडमेंट बिल (विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक), 2026 को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (जेपीसी) के पास भेजने का फैसला इस बात का संकेत है कि सरकार विदेशी फंडिंग के नियमन को और कड़ा करते हुए, संसदीय गतिरोध, हितधारकों की चिंताओं और राजनीतिक प्रभावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रही है।

25 मार्च, 2026 को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य मुख्य रूप से एफसीआरए, 2010 में संशोधन करना है। इसके तहत, एक निर्दिष्ट प्राधिकरण (डिज़िनेटेड

■ सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा, पारदर्शिता और विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं पर कड़ी निगरानी को विधेयक का मुख्य आधार बताया है।

■ विपक्षी दलों का आरोप है कि यह विधेयक गैर सरकारी संगठनों, अल्पसंख्यक संस्थानों को निशाना बनाने के लिए लाया गया है।

अर्था(रिटी) गठित करने का प्रस्ताव है, जो किसी संगठन का पंजीकरण रद्द होने, स्वेच्छा से वापस लिए जाने या उसकी अवाधि समाप्त होने की स्थिति में विदेशी अंशदान और उससे बनाई गई संपत्तियों का प्रबंधन तथा निपटान करेगा।

सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य उन प्रशासनिक खामियों को दूर करना है, जिनके कारण अनिश्चितता और संभावित दुरुपयोग की स्थिति पैदा

होती है। इसके तहत, संपत्तियों को अस्थायी रूप से सरकार के अधिकार में रखने और संगठन का पंजीकरण दोबारा बहाल होने पर उन्हें वापस करने का प्रावधान होगा। साथ ही, पूजा स्थलों के धार्मिक चरित्र को सुरक्षित रखने और, समुदाय या विचारधारा की परवाह किए बिना, सभी संगठनों पर नियम समान रूप से लागू करने की बात कही गई है।

(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

रूस ने पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ को मध्यस्थ बनाया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। “बार एंड बेच” की रिपोर्ट के अनुसार, “रूलोबल आर्बिट्रेशन रिव्यू” ने बताया है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.

- **यूक्रेन के ओशादबैंक के साथ विवाद पर इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में होने वाली सुनवाई में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड़ को अपना प्रतिनिधि बनाया है।**

चंद्रचूड़ एक इंटरनैशनल आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल में रूस का प्रतिनिधित्व करेंगे। यह ट्रिब्यूनल यूक्रेन के सरकारी बैंक ओशादबैंक द्वारा लाए गए एक विवाद की सुनवाई कर रहा है। यह मामला रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध और सैन्य अभियानों के कारण बैंक के कामकाज

(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

टाटा संस के प्रमुख चंद्रशेखरन पद त्याग करेंगे

चंद्रशेखरन ने कहा, उन्होंने यह फैसला इसलिए किया है, क्योंकि कंपनी के एक बोर्ड सदस्य ने उनके कार्यकाल विस्तार का समर्थन नहीं किया था

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 12 अगस्त। टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने आज शेयरधारकों के साथ तनाव और टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा के साथ अपना कार्यकाल बढ़ाने को लेकर मतभेदों के बीच पद से इस्तीफा दे दिया। चंद्रशेखरन ने अपने बयान में कहा कि अगले साल फरवरी में उनका मौजूदा कार्यकाल खत्म होने पर वे दोबारा नियुक्ति की मांग नहीं करेंगे।

चंद्रशेखरन ने कहा कि उन्होंने पद छोड़ने का फैसला इसलिए किया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड के एक सदस्य ने उनके कार्यकाल को बढ़ाने का समर्थन नहीं किया।

उन्होंने अपने बयान में लिखा, “सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे अगले कार्यकाल को पांच साल के लिए बढ़ाने का फैसला किया था और इसकी सिफारिश की थी। टाटा संस की

■ चंद्रशेखरन ने कहा कि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट और सर रतन टाटा ट्रस्ट ने सर्वसम्मति से मेरे कार्यकाल को 5 साल बढ़ाने का फैसला किया था और टाटा संस की नॉमिनेशन एंड रैग्युनेशन कमेटी ने भी इसे स्वीकार किया था।

■ पर, जब 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया तो एक सदस्य ने समर्थन नहीं दिया और सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने से मैंने इसे तब टाल दिया और अब 6 माह बाद भी इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं हुआ है तो मैंने यह निर्णय लिया है।

नॉमिनेशन एण्ड रैग्युनेशन कमेटी तथा बोर्ड ने भी इसे रिफाई किया और इसकी सिफारिश की। इसके बाद यह प्रस्ताव 24 फरवरी 2026 को टाटा संस के बोर्ड के सामने रखा गया। लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, क्योंकि बोर्ड के एक सदस्य ने इसका समर्थन नहीं किया। सर्वसम्मत समर्थन नहीं मिलने के कारण मैंने इस फैसले को टालने का निर्णय लिया।”

चंद्रशेखरन ने कहा कि बोर्ड की बैठक को छह महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं निकल पाया है।

उन्होंने कहा, “टाटा संस एक बहुत बड़ा संस्थान है और कई महत्वपूर्ण रणनीतिक परियोजनाएं इस समय बेहद अहम चरण में हैं। यह जरूरी है कि फरवरी 2027 के बाद समूह का नेतृत्व करने के लिए एक नेता की नियुक्ति हो।

साथ ही नेतृत्व को लेकर स्पष्टता कर्मचारियों, निवेशकों, पार्टनर्स और अन्य स्टैक होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है।”

चंद्रशेखरन पिछले 40 वर्षों से टाटा समूह का हिस्सा रहे हैं। वे जनवरी 2017 से टाटा संस और टाटा समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने 1987 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) में प्रशिक्षु के रूप में काम शुरू किया और 2009 में कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने। इसके बाद उन्होंने टाटा संस की कमान संभाली।

उन्होंने अपने बयान में कहा, “मैं इस प्रतिष्ठित संस्थान में योगदान देने के बेहद संतोषजनक अवसर के लिए आभारी हूं। पिछले एक दशक में टाटा संस का नेतृत्व करना मेरे लिए बड़े सम्मान और गहरी जिम्मेदारी का विषय रहा है।”

अपने उत्तराधिकारी की प्रक्रिया के अगले कदम के बारे में चंद्रशेखरन ने

(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

ऑटो -टैक्सी ड्राइवरों के लिए मराठी सीखना अनिवार्य

नई दिल्ली, 12 अगस्त। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट चालकों के लिए मराठी भाषा की अनिवार्यता को और सख्त कर दिया

- **सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन नियम में संशोधन करते हुए चालकों के लिए मराठी जानना अनिवार्य कर दिया है, भाषा नहीं जानने पर तीन माह तक लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान बनाया।**

है। बुधवार को सरकार ने महाराष्ट्र मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2026 में संशोधन करते हुए कड़े नियमों और दंड का प्रावधान किया है। नए नियमों में

(श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)

लिए उपयुक्त है। परन्तु हैरानी की बात है कि 20 फरवरी 2026 को नगर निगम ने उक्त टेंडर को रद्द करने के लिए नोटिस जारी कर दिए और कोई कारण भी नहीं बताया। उल्लेखनीय है कि एक महीने बाद ही 12 मार्च 2026 को नगर निगम ने उन्हीं शर्तों के साथ पुनः निविदा आमंत्रित करी। परन्तु दो ही महीने बाद 9 अप्रैल 2026 को इस निविदा को भी रद्द कर दिया और रद्द करते हुए नोटिस में केवल यह जानकारी दी कि निविदा को “अपरिहार्य कारणों से निरस्त किया जाता है”। तत्पश्चात नगर निगम ने 4 जून 2026 को पुनः एक नई निविदा आमंत्रित की परन्तु इसमें यह शर्त लगा दी कि निविदाकार के पास ऐसी गाडियां होनी चाहिए, जिनकी रजिस्ट्री जनवरी

2026 से पहले की हो।

याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा गया कि तीसरी निविदा की शर्तों में मनमाने तरीके से फेर- बदल केवल (श्रेष अंतिम पृष्ठ पर)